की क्र0सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

सी0सी0ए0 वाद संख्या– 31/2024

[धारा–3(3)(ए)]

राज्य द्वारा पुलिस अधीक्षक

बनाम्

सोनू राम

अधिवक्ता राज्य– लोक अभियोजक, लातेहार
अधिवक्ता प्रतिपक्षी – लाल अरविन्दनाथ शाहदेव

आदेश

अभिलेख प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 119/डी0सी0बी0 दिनांक 26.03.2024 से कुख्यात अपराधकर्मी सोनू राम, पे0–लखन राम, सा0–चकला, थाना–चंदवा, जिला–लातेहार के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा– 3(3)(a) के तहत् जिला बदर हेतु प्राप्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी सोनू राम को आरोप पत्र एवं ज्ञापांक 588/विधि, दिनांक–22.04.2024 से बचाव पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा कार्यालय पत्रांक 594/विधि, दिनांक–22.04.2024 से पुलिस अधीक्षक, लातेहार को सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सक्षम पदाधिकारी को अधिकृत करने हेतु सूचित किया गया।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा अधिकृत थाना प्रभारी, चंदवा एवं लोक अभियोजक, लातेहार उपस्थित हुए। थाना प्रभारी, चंदवा एवं लोक अभियोजक, लातेहार द्वारा बताया गया कि सोनू राम, पे0–लखन राम, सा0–चकला, थाना–चंदवा, जिला–लातेहार का रहने वाला है, जो राज्य एवं अन्तर्राज्य स्तरीय कुख्यात पेशेवर अमन श्रीवास्तव गिरोह का अत्यन्त सक्रिय सदस्य है, जिनके अपराधिक गतिविधि के कारण चन्दवा थाना क्षेत्र के लोगों में भय व्याप्त है। इनके अपराधिक क्रियाकलाप से विशेषकर व्यापारिक गतिविधि में संलग्न व्यक्तियों एवं विभिन्न निजी कम्पनियों के कर्मियों, सरकारी योजनाओं में काम कर रहे ठेकेदारों,

Scanned with CamScanner

उनके मुन्शियों, कोल कारोबारियों में भय व्याप्त है। ये व्यापारियों, विभिन्न निजी कम्पनियों के कर्मियों, सरकारी योजनाओं में काम कर रहे ठेकेदारों, उनके मुन्शियों, कोल कारोबारिया को जान मारने की धमकी देकर अक्सर रंगदारी की मांग करते हैं। रंगदारी नहीं देने पर इनके द्वारा धमकी देकर सईडिंग पर फायरिंग करना, पोस्टरबाजी, डरा-धमका कर लेवी वसूलने का काम किया जाता है। इनके अपराधिक गतिविधियों के कारण लोक शांति एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना घटने की सम्भावना बनी रहती है। चंदवा थाना क्षेत्र की जनता में इतना डर व्याप्त है कि इनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं कराते है। कुख्यात अपराधकर्मी अमन श्रीवास्तव के सम्पर्क में रहने के कारण चन्दवा थाना कांड संख्या-166/2019, दिनांक-19.12. 2019, धारा-307/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं चन्दवा थाना कांड संख्या-08/2020, दिनांक-14.01.2020, धारा-386/387/120बी/34 भा0द0वि तथा 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट के तहत् जेल जा चुके है। चंदवा थाना के दोनो कांडो में इनके विरूद्ध क्रमशः आरोप पत्र संख्या-81/2020, दिनांक-31.07.2020 एवं आरोप पत्र संख्या-79/2020, दिनांक-31.07.2020 न्यायालय में समर्पित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय थाना चंदवा में इनके विरूद्ध (1) सन्हा संख्या-29/2024, दिनांक-25.03.2024 एवं (2) सन्हा संख्या-19/2024, दिनांक-26. 03.2024 दर्ज किया गया है। वर्तमान में जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं। इनके अपराधिक गतिविधियों के कारण जिले में आम जनमानस में खौफ पैदा हो गया है तथा जिले में लोक शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो गयी है। जिले की लोक शांति व्यवस्था एवं आम जनमानस के जन जीवन में लोक परिशांति एवं भयमुक्त वातावरण का निर्माण के लिए कुख्यात अपराधकर्मी सोनू राम, पे0-लखन राम, सा0-चकला, थाना-चंदवा, जिला-लातेहार को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा-3(3)(a) के तहत् जिला बदर का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया एवं बहस किया गया। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त वाद में विपक्षी को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3)(ए) के तहत् नोटिस निर्गत किया गया है जो तथ्यहीन है एवं Res Judicata के अन्तर्गत आता है। सोनू

Scanned with CamScanner

राम के विरूद्ध उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के थाना हाजिरी वाद संख्या–21/2023 में दिनांक–22.12.2023 को पारित आदेश के आलोक में तीन माह तक चन्दवा थाना में उपस्थिति हेतु आदेशित किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि दिनांक–10.05.2024 को समाप्त हो रही है। एक ही अपराध के लिये दो वाद चलाना न्याय की दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है। उक्त आलोक में वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

दोनो पक्षों के तर्कों को सुना एवं स्मरण में रखा। पुलिस अधीक्षक, लातेहार से प्राप्त प्रस्ताव उसमे संलग्न दस्तावेज एवं विपक्षी के लिखित प्रतिउत्तर का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अपराधकर्मी सोनू राम के विरूद्ध चन्दवा थाना कांड संख्या–166/2019, दिनांक–19.12.2019, धारा–307/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं चन्दवा थाना कांड संख्या–08/2020, दिनांक–14.01.2020, धारा–386/387/120बी/34 भा0द0वि तथा 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट के तहत् जेल जा चुके है। चंदवा थाना के दोनो कांडो में इनके विरूद्ध क्रमशः आरोप पत्र संख्या–81/2020, दिनांक–31.07.2020 एवं आरोप पत्र संख्या–79/2020, दिनांक–31.07.2020 न्यायालय में समर्पित किये जाने का उल्लेख किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा थाना हाजिरी वाद संख्या–21/2023 में दिनांक–22.12.2023 को पारित आदेश के आलोक में दैनिक उपस्थिति की समयावधि दिनांक–10.05.2024 को समाप्त होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अपराधकर्मी द्वारा दैनिक थाना हाजिरी हेतु पारित आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।

सिविल प्रक्रिया की धारा–11(Res Judicata) में उल्लेखित है कि " No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court. "

उपरोक्त परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक, लातेहार से प्राप्त प्रस्ताव को

9/5/25

Scanned with CamScanner

अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, लातेहार, थाना प्रभारी, चंदवा, सोनू राम को भेजे। अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी
लातेहार।

उपायुक्त–सह– जिला
दण्डाधिकारी लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.08.16 17:53:34 +05:30
Location: 192.168.5.143

Scanned with CamScanner